नागरिक विविध

जस्टिस बल राज तुली से पहले

भीम चंद,-याचिकाकर्ता

बनाम

उपायुक्त, जिला रोहतक एवं अन्य,- उत्तरदाताओं

1967 की सिविल रिट संख्या 1295

18 सितंबर 1968

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II - नियम 5.32 - सेवानिवृत्ति के आदेश के तहत - ऐसा आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है - चाहे वह कानून में खराब हो।

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 के तहत, किसी सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद तीन महीने का नोटिस देकर सेवा में बनाए रखने या सेवानिवृत्त करने का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी का है। . यदि वह निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं नहीं लिया गया है, बल्कि किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश पर लिया गया है, तो आदेश कानून की दृष्टि से खराब है।

(पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि 12 मई, 1967 के उपायुक्त, रोहतक के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए।

याचिकाकर्ता के वकील यू. डी. गौड़

मेमो, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति तुली-

(1) याचिकाकर्ता भीम चंद, उपायुक्त, रोहतक के कार्यालय में स्थायी क्लर्क थे, जिनकी जन्म तिथि लोथ अप्रैल है। 1912. पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I के नियम 3.26 के तहत, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 15 अप्रैल, 1967 थी, 1963 में इस नियम के संशोधन तक जब सेवानिवृत्ति की आयु 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई थी।

(2) उत्तरदाताओं ने रिट याचिका पर कोई रिटर्न दाखिल करने की परवाह नहीं की है, "इसलिए, मेरे पास याचिका में कही गई बातों को सही मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी चरित्र-पंजी में यह शामिल है 12 प्रविष्टियाँ, जिनमें से दो अच्छी, आठ संतोषजनक और दो खराब हैं। वर्ष 1964-65 और 1965-66 के लिए उनकी नवीनतम रिपोर्ट कहती है कि उनका काम संतोषजनक पाया गया। उन्हें 2 अगस्त, 1966 को दक्षता सीमा पार करने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने के लिए ऊर्जावान और शारीरिक रूप से फिट है।

(3) संशोधित पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 के तहत, नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बिना कोई कारण बताए तीन महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त होने के लिए कह सकता है। याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी उपायुक्त है न कि उप सचिव या वित्तीय आयुक्त। हरियाणा राज्य के वित्तीय आयुक्त ने 24 जनवरी, 1967 को सरकारी कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में बताया गया कि वित्तीय आयुक्त को मामला दिखाए बिना किसी को भी 55 वर्ष से अधिक का विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उपायुक्त ने उनके सेवा रिकॉर्ड और आयुक्त को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को 58 साल तक सेवा में बनाये रखने की सिफारिश की. अम्बाला डिवीजन, उस सिफारिश से सहमत था। ऊपर

उल्लिखित उनके निर्देशों के अनुसार मामला वित्तीय आयुक्त को भेज दिया गया था और याचिका के पैरा 10 में कहा गया है, “प्रतिवादी उप सचिव ने बिना कोई कारण बताए सरकार के निर्णय की सूचना देते हुए एक पत्र जारी किया, कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए और तुरंत आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।” पैराग्राफ 11 में, यह कहा गया है कि "अनुपालन में कार्रवाई करते हुए, डिप्टी कमिश्नर, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को 12 मई, 1967 को अपना आदेश (अनुलग्नक 'ए') दिया है। आदेश अनुलग्नक 'ए5 इन शर्तों में है:-

“श्री. इस कार्यालय के स्थायी लिपिक भीम चंद की आयु 15 अप्रैल 1967 पूर्वाह्न को उनकी जन्मतिथि 15 अप्रैल 1912 के अनुसार 55 वर्ष हो गई है। पत्र क्रमांक 5410 के पैरा 6 में निहित सरकारी निर्देशों के अनुसार -3जीएस-63/11925, दिनांक 28 मार्च, 1963, दि. नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद तीन महीने के नोटिस पर सेवानिवृत्त होने के लिए कह सकता है। उपरोक्त निर्देशों के आलोक में श्री भीम चंद को तीन महीने का नोटिस दिया जाता है कि वह पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 5.32 के तहत 15 जुलाई, 1967 को पूर्वाह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। "

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद तीन महीने का नोटिस देकर सेवा में बनाए रखने या सेवानिवृत्त करने का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी का है। यदि वह निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं नहीं लिया गया है, बल्कि किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश पर लिया गया है, तो आदेश कानून की दृष्टि से खराब है। डिप्टी कमिश्नर, हिसार के कार्यालय में सेवारत एक स्थायी सहायक के समान मामले में, जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, रोशन लाई गोगिया बनाम वित्तीय आयुक्त और अन्य में गुरदेव सिंह, जे. , ने सेवानिवृत्ति के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि "यह निर्णय सरकार द्वारा किया गया था, न कि उपायुक्त द्वारा, जो नियुक्ति प्राधिकारी है। मैं उस मामले में विद्वान न्यायाधीश द्वारा निर्धारित कानून से सम्मानजनक सहमत हूं।

(4) परिणाम यह हुआ कि इस याचिका को लागत के साथ स्वीकार कर लिया गया और आदेश (रिट याचिका का अनुलग्नक 'ए') रद्द कर दिया गया।

के.एस.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh